WHISPERS IN THE CORRIDORS

डॉ. सुरेश मेहरोत्रा .COM

नईदुनिया से विशेष अनुबंध के तहत

राजनीतिक, प्रशासनिक व कॉर्पोरेट जगत की खबरें

राजनीतिक

- **क्या एनडीए के भीतर की छोटी पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल फेरबदल में बाधा डाल रही हैं?**

राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में बढ़ती आशंकाओं के बीच, ऐसे संकेत उभर रहे हैं कि एनडीए घटक दलों में शामिल छोटी पार्टियां मोदी मंत्रिमंडल में लंबे समय से अपेक्षित फेरबदल में देरी का कारण बन सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन के सहयोगी दल, विशेष रूप से वे दल जिनकी संसद में सीमित लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संख्या है, मंत्री पदों और विभागों के आवंटन को लेकर गुप्त बातचीत में लगे हुए हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री प्रमुख चुनावी दौरों और बदलती शासन प्राथमिकताओं से पहले अपनी टीम को पुनर्गठित करने के इच्छुक माने जा रहे हैं। हालांकि, भाजपा के आंतरिक संतुलन को बिगाड़े बिना सहयोगियों को समायोजित करना एक नाजुक चुनौती प्रतीत होती है। कुछ नेता कथित तौर पर अधिक प्रमुखता हासिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि अन्य मौजूदा पदों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं।

- **इस सप्ताह गवर्नरों की नियुक्ति और कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की संभावना**

इस सप्ताह नए गवर्नरों की नियुक्ति या कुछ गवर्नरों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अंतिम रूप दे दिया गया है।

- **पंजाब कांग्रेस में बड़े पैमाने पर दल-बदल होने की संभावना**

पंजाब में कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया जा रहा है कि राजा वारिंग को राज्य अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किए जाने से कई वरिष्ठ नेता नाखुश हैं। कुछ वरिष्ठ नेताओं को राज्य स्तरीय चुनाव समिति में शामिल नहीं किया गया है। उन्हें चुनाव से संबंधित कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। खबरों के मुताबिक, इससे नेता काफी नाराज हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में करीब एक दर्जन नेता पार्टी छोड़ सकते हैं।

- **डीकेएस द्वारा अगस्त तक कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की संभावना**

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वर्तमान में डीकेएस मंत्रिमंडल में 14 मंत्री हैं, जबकि सदन की अधिकतम संख्या के अनुसार कुल 34 मंत्री हो सकते हैं। इस प्रकार लगभग 20 सीटें रिक्त हैं और विधायक तथा पूर्व मंत्री इन पदों के लिए पैरवी कर रहे हैं।

प्रशासनिक

- **क्या संदीप पौंड्रिक बिहार में मुख्य सचिव के रूप में लौटेंगे ?**

ऐसी खबरें हैं कि इस्पात सचिव संदीप पौंड्रिक बिहार में मुख्य सचिव के रूप में वापसी कर रहे हैं। वे बिहार कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। क्या यह सच है? क्या यह बिहार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हो रहा है?

- **राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए अगला उम्मीदवार कौन**

राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है, जिसके मद्देनजर राजस्थान सरकार ने चुपचाप लेकिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील तरीके से उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू कर दी है। केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों के भी विचार-विमर्श में शामिल होने की संभावना है, वहीं सूत्रों का कहना है कि एक वरिष्ठ महिला आईएएस अधिकारी भी इस दौड़ में हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा खुली और सतर्क बनी हुई है। प्रशासनिक हलकों में जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें अभय कुमार वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं, जबकि रजत कुमार मिश्रा और अखिल अरोरा पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अंतिम निर्णय सेवा प्रोफाइल, केंद्र-राज्य समन्वय और शीर्ष नेतृत्व में निरंतरता को लेकर सरकार की सहमति पर निर्भर करेगा। फिलहाल, प्रक्रिया विचार-विमर्श के चरण में पहुंच गई है, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और किसी अप्रत्याशित उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

- **आलोक कुमार मित्तल बीपीआर एवं विकास विभाग के नए महानिदेशक नियुक्त**

आलोक कुमार मित्तल को बीपीआर एवं विकास महानिदेशक के पद पर 30 जून, 2029 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक के लिए नियुक्त किया गया है। वे हरियाणा कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **अमित गर्ग एसवीपीएनपीए से एनसीआरबी के निदेशक पद पर पदोन्नत**

अमित गर्ग, जो वर्तमान में एसवीपीएनपीए के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक के पद पर अस्थायी रूप से महानिदेशक स्तर के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी यह नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 31 अक्टूबर, 2027 तक के लिए होगी। वे आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **SVPNPA को सुजीत पांडे के रूप में नया निदेशक मिला**

वर्तमान में इसी कैडर में कार्यरत सुजीत पांडे को 31 जुलाई 2028 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक एसवीपीएनपीए के निदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। वे उत्तर प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।

- **मध्य प्रदेश सरकार ने आईपीएस सिद्धार्थ बहुगुणा की सेवाएं केंद्र को**

मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को सिद्धार्थ बहुगुणा (आईपीएस एमपी-2010), सीबीआई को सेवाएं अगले पांच वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर केंद्र को सौंप दीं ताकि वे अपनी नई पोस्टिंग पूरी कर सकें। खरगोन रेंज के डीआईजी बहुगुणा को सीबीआई का डीआईजी नियुक्त किया गया है।

- **परमादित्य को संयुक्त सीपी के रूप में प्रधानमंत्री और सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित किया**

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सोमवार को परमादित्य (आईपीएस एजीएमयूटी-2005), संयुक्त सीपी/विशेष शाखा के तबादले को संयुक्त सीपी/सुरक्षा (पीएम) के पद पर सीपी लाइसेंसिंग के अतिरिक्त प्रभार के साथ मंजूरी दे दी है।

- **संयुक्त मुख्य निरीक्षक निधिन वलसन को दिल्ली में अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक तकनीकी एवं निजी निरीक्षक के पद पर नई पोस्टिंग मिली**

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सोमवार को निधिन वलसन (आईपीएस-एजीएमयूटी-2012) अतिरिक्त सीपी/टेक्निकल एवं पीआई के तबादले को अतिरिक्त सीपी/टेक्निकल एवं पीआई के पद पर विशेष शाखा के अतिरिक्त प्रभार के साथ मंजूरी दे दी है।

हिन्दू आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले वक्फ की लूट पर कभी नहीं बोले : आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने प्रतापगढ़ में किया 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, प्रतापगढ़ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कथित दान चोरी प्रकरण को लेकर विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुंह वक्फ की जमीन में हुए हजारों करोड़ के घोटाले पर क्यों नहीं खुलता। ये लोग एक घटना को पकड़ कर हिन्दू आस्था को अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। जबकि उस पूरे प्रकरण के एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो रही है।

मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मंगलवार को यहां 384 करोड़ की 111 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को युवाओं को रोजगार मिलना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि यह नौजवान जब कार्य करेंगे तो जातिवादी राजनीति समाप्त होगी। विपक्ष फिर से जाति के आधार पर समाज के ताने-बाने को बांटना चाहता है। छिन्न-भिन्न करना चाहता। हमें इससे ऊपर उठना होगा। उन्होंने कहा कि यह लोग किस-किस प्रकार के मुद्दे को लेकर आते हैं। कोई मुद्दा नया नहीं होता है। जाति के नाम पर विभाजन या फिर आस्था पर प्रहार इनका मुद्दा होता है।

आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से उनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी साजिश हो रही है। किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए जब कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कांग्रेस कहती थी कि कृष्णा हुए ही नहीं। अयोध्या में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाल आंसू बहा रही थीं। आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, आप लोग सब देख रहे होंगे। योगी ने कहा कि अब वह (सपा और कांग्रेस) कह रहे हैं कि अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है। बताओ पहले, तुम्हारी आस्था अयोध्या पर कब से हो गई। जनसमूह की ओर इशारा करते हुए बोले कि इनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है। यह बोल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

कांग्रेस और सपा ने तो रांम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था और आज वह कौन आस्था की बात कर रही हैं। वे धार्मिक हिंदू विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार का पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्रीवॉल पर खर्च कर देते थे। वह लोग कौन सी आस्था की बात कर रहे हैं। यही प्रश्न आप लोगों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि जब तुम्हारी सरकार थी तो रामभक्तों पर गोली चलवाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक बोलती थी कि राम हुए ही नहीं, यह कांग्रेस कहां थी। देश की सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन पार्टी उस समय इस प्रकार बात करती थी। योगी ने कहा कि आज आप राम जी की पैड़ी में जाइए वहां पर लोग स्नान कर रहे हैं।

कितनी सुंदरता है। आज की अयोध्या दुनिया को आकर्षित करती है। यही विपक्ष की पीड़ा है। इनके न चाहते हुए भी इतने लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनको इसकी चिंता है। कभी-कभी मुझे संदेह होता है। संदेह इस बात का होता है कि यह लोग एक घटना को किस तरह बढ़ाकर हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं सपा और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हुए घोटाले पर सवाल उठाए।

हजारों हैकटेयर लैंड प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बेची गई है। एक भी बार इस पर यह लोग नहीं बोले। यह जमीन गरीब की थी। कमजोर तबके के लोगों की थी। यह जमीन गरीबों के नाम पर पट्टा की जा सकती है। वहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था। योगी ने कहा कि अयोध्या के बारे में तो उन्होंने पिछले दिनों ही कहा था कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की मांग पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। समिति की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है।

गैस सिलेंडर रिसाव से झोपड़ी में लगी आग, लाखों की गृहस्थी राख

देवरिया। उत्तर प्रदेश में देवरिया जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित माधोपुर गांव में सोमवार देर रात गैस सिलेंडर से हुए रिसाव के कारण भीषण आग लग गई। इस हादसे में राम अवध साहनी की झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि समय रहते परिवार के सभी सदस्य बाहर निकल आए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

बरियारपुर थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैस रिसाव के चलते अचानक आग भड़क उठी और कुछ ही देर में पूरी झोपड़ी उसकी चपेट में आ गई। आग लगने के बाद सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकल आए और आग बुझाने में जुट गए। उन्होंने बताया कि अग्निकांड में परिवार की वर्षों की मेहनत से जुटाई गई गृहस्थी जलकर खाक हो गई। घर में रखा चावल, गेहूं, आटा, दाल, बर्तन, कपड़े, सोने-चांदी के आभूषण तथा नया मकान बनाने के लिए रखी गई नकदी भी आग की भेंट चढ़ गई। इससे पीड़ित परिवार के सामने भोजन और रोजमर्रा की जरूरतों का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही बरियारपुर थाना प्रभारी दीपक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रशासन को सूचना देने के साथ ही लेखपाल को भी बुलाया गया, ताकि नुकसान का आकलन कर पीड़ित परिवार को शासन की ओर से आर्थिक सहायता दिलाई जा सके।

पुरानी छत तोड़ते समय भरभराकर गिरी मलबे में दबकर दो लोग घायल

हमीरपुर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कुरारा थाना क्षेत्र के ग्राम झलोखर में मंगलवार को एक मकान की पुरानी स्लैब तोड़ते समय अचानक छत भरभराकर गिर गई। हादसे में घर के दो युवक मलबे की चपेट में आकर घायल हो गए।

घायलों की पहचान अखिलेश पुत्र रामप्रकाश (35) तथा विनीत पुत्र अनिल (22) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और दोनों घायलों को बाहर निकाला। इसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को उपचार के लिए स्थानीय

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। घायल युवकों की बहन प्रीति ने बताया कि मकान की पुरानी सलैब (छत) तोड़ने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक पूरी छत गिर गई, जिससे यह हादसा हो गया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायलों का उपचार जारी है। सीओ सदर यशपाल सिंह ने बताया कि एक मकान का पुराना हिस्सा तोड़ते समय छत अचानक टूट गई। इस हादसे में दो लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कंपनी में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक

नोएडा । उत्तर प्रदेश के नोयडा में थाना फेस-2 क्षेत्र के सेक्टर 88 में स्थित एक कंपनी में सोमवार की देर रात को भयंकर आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस घटना में लाखों का सामान जलकर स्वाहा हो गया । मुख्य दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि सेक्टर 88 के बी- ब्लॉक में स्थित सुरभि इंटरनेशनल नामक कंपनी में सोमवार रात 12 बजे के करीब इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई । उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की आठ गाड़ियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्होंने बताया कि अभी कूल डाउन की प्रक्रिया जारी है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रिक पैनल में शार्ट सर्किट होने के चलते आग लगी है। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण और आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आग ने पूरी कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया था।

मीरजापुर में 51 किलो बर्फ से हुआ बाबा बदेवरानाथ का श्रृंगार

बारिश से झूमे श्रद्धालु व किसान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, मीरजापुर : उत्तर प्रदेश के जनपद मीरजापुर के जिगना क्षेत्र के बदेवरा चौबे गांव स्थित बाबा बदेवरानाथ मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं ने 51 किलो बर्फ से भगवान शिव का भव्य श्रृंगार किया। भक्तों ने हर-हर महादेव के जयघोष के साथ अच्छी वर्षा की कामना करते हुए विशेष पूजन-अर्चन किया। इसी दौरान झमाझम बारिश शुरू होने पर मंदिर परिसर भक्तों के जयघोष से गूंज उठा और किसानों के चेहरे खिल उठे।

मंदिर के पुजारी महेंद्र गोस्वामी ने बताया कि ग्राम प्रधान माहेश्वरी उपाध्याय और विनीत उपाध्याय की ओर से 51 किलो बर्फ से बाबा बदेवरानाथ का श्रृंगार किया गया। इसके बाद भांग, धतूरा, शमी पत्र और बिल्वपत्र अर्पित कर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया गया। उन्होंने बताया कि मंदिर में पहली बार बर्फ से बाबा का श्रृंगार किया गया। बारिश होने के

बाद किसानों ने इसे शुभ संकेत बताया। श्रद्धालुओं का कहना है कि समय पर वर्षा होने से धान की रोपाई की तैयारियां तेज होंगी और खेती-किसानी को गति मिलेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सुरेंद्र कुमार जैन आत्मज श्री नेमीचंद जैन वर्तमान निवासी मकान नं. ए-1, यशोदा गार्डन बागमुगालियां भोपाल (मध्य प्रदेश) पूर्व में मेरे नाम की स्पेलिंग SURENDER KUMAR JAIN थी जो कि मेरे पूर्व पासपोर्ट पर अंकित है जिसे मैंने बदलकर सही नाम SURENDRA KUMAR JAIN रख लिया है। मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम सुरेंद्र कुमार जैन (SURENDRA KUMAR JAIN) लिखा है अतः मुझे भविष्य में मेरे नए नाम से जाना व पहचाना जाए।

830

नाम परिवर्तन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि में विपिन कुमार बेलवंशी आ. स्व. श्री दिनेश कुमार बेलवंशी निवासी बी-45 इन्डस रेजेन्शी, अपोजिट BMHRC करोद के पीछे मेडिकल कालेज मित्तल कालेज नवीबाग भोपाल मध्य प्रदेश। मैं पश्चिम मध्य रेल मण्डल भोपाल के अन्तर्गत इटारसी में ट्रेन मैनेजर (मेल) के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे शासकीय दस्तावेज आधार पेन कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में मेरा सही नाम विपिन कुमार बेलवंशी आ. दिनेश कुमार बेलवंशी VIPIN KUMAR BELVANSHI S/o SHRI DINESH KUMAR BELVANSHI है जबकी मेरी रेल सर्विस पुस्तिका (SR) में मेरा अधूरा व गलत नाम VIPIN KUMAR S/O DINESH KUMAR अंकित हो गया है। उसमें सुधार कर विज्ञापन उपरान्त मुझे सही नाम से ही जाना पहचाना लिखा व पढ़ा जावे।

VIPIN KUMAR BELVANSHI S/O DINESH KUMAR BELVANSHI

831

जाहिर सूचना

मेसर्स दारा केमिकल्स,खतौनी नंबर 212,117, खेवट नंबर 175,99, मुरब्बा नंबर 72, थेड़ी बाबा सावन सिंह, सिरसा ग्रामीण, सिरसा, हरियाणा, 125055, कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्र. एस ओ 2900 (इ) दिनांक 24 अक्टूबर 2015 तथा 30 दिसम्बर 2017 को उसके संशोधन के अनुसार मेसर्स दारा केमिकल्स द्वारा सूचित करती है की वह दी गई विशेषताओं के अनुसार 100% में घुलनशील उर्वरक मिश्रण बेचना चाहती है: 1) पोटैशियम नाइट्रेट (13-00-45)-कुल नाइट्रोजन 13%, घुलनशील पोटेशियम 45%, सोडियम 1%, क्लोराइड 1.5% 2) मोनो पोटैशियम फॉस्फेट (00-52-34)-घुलनशील फास्फोरस 52%, घुलनशील पोटेशियम 34%, सोडियम 0.5%, 3) मोनो अमोनियम फॉस्फेट 12:61:0-अमोनिकल नाइट्रोजन 12%, घुलनशील फास्फोरस 61, सोडियम 0.5%, 4) यूरिया फॉस्फेट 17:44:0 -कुल नाइट्रोजन 17%, घुलनशील फास्फोरस 44% 5) पोटैशियम मैग्नीशियम सल्फेट-घुलनशील पोटेशियम 22%, मैग्नीशियम 18%, सल्फर 20% उपरोक्त सभी ग्रेड में अधिकतम नमी प्रतिशत 0.5 % 6) कैल्शियम नाइट्रेट-कुल नाइट्रोजन 15.5%, नाइट्रेट नाइट्रोजन 14.5%, घुलनशील कैल्शियम 18.5% 7) एन.पी.के. (19-19-19)-कुल नाइट्रोजन 19%, कुल फास्फोरस 19%, कुल पोटेशियम 19%, अधिकतम नमी प्रतिशत 1.5 8) एन.पी.के. 14:28:14-कुल नाइट्रोजन 14%, कुल फास्फोरस 28%, कुल पोटेशियम 14%, अधिकतम नमी प्रतिशत 1.5 9) एन.पी.के. 14:35:14-कुल नाइट्रोजन 14%, कुल फास्फोरस 35%, कुल पोटेशियम 14%, अधिकतम नमी प्रतिशत 1.5 10) एन.पी.के. 9:25:25-कुल नाइट्रोजन 9%, कुल फास्फोरस 25%, कुल पोटेशियम 25%, अधिकतम नमी प्रतिशत 1.5

मुख्य प्रबंधक
मेसर्स दारा केमिकल्स

न्यायालय, आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम श्रम न्यायालय क्रं. 1 भोपाल म.प्र.

प्र.क्र.03/ डब्ल्यू.सी. एफ ई.सी. एक्ट)/2026

सूचना पत्र

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 13.08.2025 को हुई दुर्घटना में श्रमिक श्री मोहम्मद एजाज आ0 श्री मलखान खा की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि नियोक्ता दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा इस न्यायालय में रूपये 1271695/- शब्दों में बारह लाख इकत्तर हजार छः सौ पन्चान्वे रूपये मात्र जमा किये गये है। यह राशि कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जमा की गई है। अतः यदि कोई व्यक्ति धारा 21 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत मृतक का आश्रित हो तो वह दिनांक 10.08.2026 को सुबह 10.30 बजे मेरे समक्ष इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना क्लेम एवं साक्ष्य प्रस्तुत करें और साथ में अपनी शिनाख्तगी के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अटेस्टेड किया हुआ स्वयं का फोटो भी साथ में लावें। उक्त दिनांक को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारण से कार्य स्थगित हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जावेगी। ध्यान रहे कि उपरोक्त दिनांक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। अतः आज दिनांक 7/7/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुदा के अधीन जारी किया गया।

आयुक्त
कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम

जाहिर सूचना

स्थित एक किता मकान नं. 28-29, इस्लामी गेट बकरी वाली मस्जिद के पास, शाहजहांनाबाद भोपाल म.प्र. 1160 वर्गफीट, के संबंध में।

मैं अपनी पक्षकारा श्रीमती साहिबा पत्नि श्री सलमान खान पुत्री स्व. श्री अब्दुल लतीफ खान आयु-वयस्क, निवासी म.नं0 27, गली न. 02, वार्ड नं. 24, इस्लामपुरा, बुधवारा रोड, भोपाल म.प्र. की ओर से सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पक्षकारा के पिता स्व. अब्दुल लतीफ खान के स्वर्गवास के पश्चात् मेरी पक्षकारा के भाई कल्लू खां द्वारा नगर निगम जोन कार्यालय में असत्य आधारों पर विधि विरूद्ध नामांतरण अपने पक्ष में करा लिया है जबकि स्व. अब्दुल लतीफ खान के विधिक वारिस कल्लू खां एवं मेरी पक्षकारा हैं, उक्त मकान के संबंध में कल्लू खां ही एकमात्र स्वामी नहीं हैं मेरी पक्षकारा भी उक्त मकान की आधी स्वामी है, उक्त विधि विरूद्ध नामांतरण के संबंध में मेरी पक्षकारा द्वारा नगर निगम में अपील प्रस्तुत कर दी गई है एवं सक्षम न्यायालय भोपाल में विधिक कार्यवाही की जा रही है। अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, निगम, निकाय कल्लू खां से उक्त मकान के संबंध में कोई भी संव्यवहार न करें अन्यथा किये गये समस्त संव्यवहार विधि विरूद्ध होकर अवैधानिक माने जायेंगे, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी। सूचित हो।

धीरज सिंह डागा अधिवक्ता
Off.-25, Guliadai Mohalla, Near Ex. President Home, Bhopal, (MP) Mob. No.-8109999663

836

परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल
सातवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस ए/470/2022
विनोद कुमार खरे बनाम अध्यक्ष स्वजन गृह निर्माण सहकारी समिति
NEXT DATE: 28.07.2026

प्रेषिती- अध्यक्ष स्वजन गृह निर्माण सहकारी समिति, पंजीयन क्रं. डी आर बी 475, पता- ग्राम जाटखेडी तहसील हुजूर भोपाल। **यह कि प्रार्थी** विनोद कुमार खरे ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/470/2022 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें। यह आज तारीख 15.6.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है। **कृपया ध्यान दें**-1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।

सुश्री रानू रिछारिया, न्यायाधीश
सातवें व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल

832

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल
प्रगति भवन प्रेस कॉम्पलेक्स जोन-1
महाराणा प्रताप नगर भोपाल

प्रापर्टी आई.डी. नं. 8200001058, आवेदन क्रमांक-12471, आवेदन दि. 23/06/2026 क्रमांक 2283/राजस्व/भौविप्रा/26 भोपाल दिनांक 06/07/2026

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की पंचशील नगर योजना में भूखण्ड क्रमांक 1058 के आवंटी श्री चिंटू उर्फ़ बद्री प्रसाद आत्मज श्री रामकरन के नाम पर आवंटित है। आवंटी का स्वर्गवास दिनांक: 18/09/1996 व पत्नी श्रीमती प्रेम बाई का स्वर्गवास 25/08/2022 एवं इनके पुत्र श्री नर्वदा मडराई आत्मज स्वर्गीय चिंटू उर्फ़ बद्री प्रसाद का स्वर्गवास 18/02/2021 को हो जाने के कारण आवंटी के वारिस पुत्रवधु श्रीमती ऊषा मडराई पत्नी स्वर्गीय नर्वदा मडराई द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आधार कार्ड एवं सादे कागज पर की गई वसीयत एवं समस्त वारिसों की सहमति /शपथ पत्र तथा वांछित प्रपत्रों को प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड क्रमांक 1058 पंचशील नगर अपने नाम पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त नामांतरण के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति /उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से 7 दिवस के अंदर लिखित एवं साक्ष्ये/ दस्तावेजों के साथ अधोहताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति /दावा प्रस्तुत करे। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा /आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी, एवं प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी,
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

833

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील-कोलार, जिला-भोपाल
प्रकरण क्रमांक /बी-113/2026-27

सूचना

(म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत)

जैसा कि आवेदक श्री ललित कुमार अदुकिया (अध्यक्ष) शारदा विद्या विकास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट पता डब्ल्यू.एस. नम्बर 15, प्लाट नम्बर 13, द्वितीय तल, चंद्रीका गृह निर्माण समिति मर्यादित बावड़ियाकलां भोपाल द्वारा नि